


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....गणपती देवी..... बनामश्रीती देवी.....
 किस्म मुकदमा मु. नं० 124 वर्ष 2019

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---------|---|--|
| 10-3-21 | <p>पत्रावली में अपील नोट प्रेस में खारिज करवाये जाने के बाद पत्रावली में ही न्यायालय के कार्यालय में</p> <p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तृतीय तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर </p> | <p>मैं अपील को आगे नहीं चलाना चाहती। पूर्ण संतुष्टी पर अपील खारिज सुझाव चाहती हूँ।</p> <p style="text-align: center;"> <u>गणपती</u> <u>पद्मानंदी</u> <u>BUBIANIYA</u> </p> |